न्यायालय नायब तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
भागीरथराम (आरटीएस)
दिनांक–1.8.018

मि.न.– 19 / 2018

सरकार बनाम अमरसिंह
निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल अनुपस्थित।

सुक्ष्म वृतांत इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कांसली ने एक रिर्पोट इस आशय कि पेश की है कि सम्वत 2075 में वाके ग्राम कांसली तहसील कोटपूतली के ख0 न0 334 / 0.10 किस्म जमीन गै0मु0पाल मेंसे 0.01है0 पर मेड लगा कर जाति अहीर निवासी कांसली तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने अतिक्रमण कर लिया है।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायल को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न पत्रावली किये गये । सूचनापरान्त गैर सायल को बार– बार अवसर दिया जाने के उपरान्त भी गैर–सायल उपस्थित नहीं आया । इसलिए गैरसायल के विरूद्व कार्यवाही एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। अतः गैरसायल अमरसिंह पुत्र फूलचन्द जाति अहीर निवासी कांसली तहसील कोटपूतली को वाके ग्राम कांसली तहसील कोटपूतली के ख0 न0 334 रकबा 0.10 किस्म जमीन गै0मु0पाल मेंसे 0.01है पर अतिक्रमी धोषित करते हुये उक्त आराजियात पर पुख्ता मकान को ध्वस्त किया जाकर गैरसायल को भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी0 0.06का पचास गुणा 3रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पंटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे ।निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमील दाखील दफ्तर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 1.8.018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

वर्ष 2018-019 के रा० ले० 4
के पृष्ठ संख्या 32 पर 3
इन्द्राज किये गये ।
राजस्व लेखाकार
कोटपूतली